prepmate

Topic no.38

हेग अपहरण कन्वेंशन

अत्यावश्यक 50 विषय

प्रीलिम्स 2019 के लिए

क्यों अत्यावश्यक विषय श्रृंखला महत्वपूर्ण है?

2017 के प्रीलिम्स में, 50 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 9 प्रश्न शामिल थे।

2018 की प्रारंभिक परीक्षा में, 40 अत्यावश्यक विषय श्रृंखला में 8 प्रश्न शामिल थे।

2019 के प्रीलिम्स में, ...

Telegram पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल @UpscPrepMate से जुड़ें

जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

पुस्तकें खरीदने के लिए prepmate पर क्लिक करें

Whatsapp पर अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए, अपना नाम और शहर Whatsapp नंबर पर भेजें

75978-40000

हेग अपहरण कन्वेंशन (Hague Abduction Convention)

अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के पहलुओं पर हेग कन्वेंशन (जिसे हेग अपहरण कन्वेंशन या हेग कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है) एक बहुपक्षीय संधि है। सम्मेलन का उद्देश्य उन बच्चों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना है, जिनका उनके मूल निवास के देश से अपहरण कर लिया गया है या जिन्हें कन्वेंशन की किसी भी अनुबंधित पार्टी के क्षेत्र में गलत रखा गया है।

इस तरह का प्रावधान बच्चे के माता या पिता को अधिक सहानुभूतिपूर्ण अदालत की तलाश में राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने से रोकता है।

कन्वेंशन 1980 में संपन्न हुई थी और 1983 में लागू की गई थी। यह कन्वेंशन निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (Hague Conference on Private International Law, एचसीसीएच) द्वारा विकसित की गई थी। कन्वेंशन केवल 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होती है। मार्च 2019 तक, कन्वेंशन में 100 पार्टियां शामिल हैं। भारत कन्वेंशन के लिए पार्टी नहीं है।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है?

निजी अंतरराष्ट्रीय कानून (Private international law) नियमों का एक निकाय है जो विभिन्न देशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए उपयोग किया जाता है।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन क्या है?

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (एचसीसीएच) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में काम करता है। यह कई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को विकसित और प्रशासित करता है।

हेग सम्मेलन पहली बार 1893 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हेग सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदल गया।

भारत कन्वेंशन के लिए पार्टी नहीं है

भारत सरकार अभी तक हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा है। हालांकि, भारत सरकार का मानना है कि कन्वेंशन को अपनाने से वैवाहिक कलह या घरेलू हिंसा से बच कर भागने वाली महिलाओं का उत्पीड़न हो सकता है।

सरकार हेग कन्वेंशन के केंद्रीय प्रावधान का भी विरोध करती है। केंद्रीय प्रावधान में कहा गया है कि बच्चे के अभ्यस्त निवास का मानदंड, यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा कि क्या बच्चे को गलत तरीके से माता या पिता द्वारा अपहरण कर लिया गया है और साथ ही केंद्रीय प्रावधान बच्चे को अभ्यस्त निवास के देश में वापस लाने का उद्देश्य रखता है, यह प्रावधान हमेशा बच्चे के हित में नहीं रहता।